न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
80/2021	FSS ACT	04.06.2021	28.11.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री संतोष पुत्र श्री गीताराम बघेल, उम्र 40 वर्ष, जाति बघेल, मैसर्सः जयपुर मिष्ठान भण्डार, राजाखेडा बाईपास धौलपुर निवासी ग्राम नांदोली तह0 राजाखेडा, धौलपुर (राजस्थान)

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय **दिनांक 28.11.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 09.11.2025 को दोपहर 01:00 बजे मैसर्सः– जयपुर मिष्ठान भण्डार, राजाखेडा बाईपास,धौलपुर पर पहुंचा मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम संतोष पुत्र श्री गीताराम बघेल,उम्र 40 साल, जाति बघेल मैसर्सः– जयपुर मिष्ठान भण्डार, राजाखेडा बाईपास,धौलपुर, निवासी ग्राम नांदोली तह0 राजाखेडा,धौलपुर (राजस्थान) का होना बताया विक्रेता से खाद्य लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020 दिखाने हेतु कहां तो उन्होने खाद्य अनुज्ञा पत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन संख्या ना होना जाहिर किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 08 किलोग्राम बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता के उक्त दुकान में से 02 किलो ग्राम बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता संतोष पुत्र श्री गीताराम बघेल को रू. 280/– (दो सौ अस्सी रूपये) नगद

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलो ग्राम बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) को चार खाली साफ एवं सूखी बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 1986 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम , नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा, आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 1986 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर संतोष पुत्र श्री गीताराम बघेल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/32 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जांच रिपोर्ट एलएस/1021/एक्ट/2020/1093 दिनांक 14.12.2020 के द्वारा नमूना सबस्टैण्डर्ड (Substandard) प्रकृति कर पाया गया मूल जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थी ने सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खादय पदार्थ में कोई मिलावट नही कि है फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनर्रावृत्ति नही होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **FOOD SAFETY & STANDARD LABORATORY ALWAR,(RAJ)** की **REPORT NO.L.S./1021/Act/2020/1093 DATE 14-12-2020** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"Opinion- This sample of **Proprietary food, Laddu Besan ((Prepared with Besan,Sugar&Refined Palmolein Oin)** bearing code & serial No. **D-1986** of D.O. Dholpur is **SubStandards Food, U/S 3(1)(zx) of FS&S Act 2006.** it does not conform to the Prescribed purity standards of fod Laddu Besan mithai, as Per Provisions of FS&S (Food Products Standards & Food Addives) Regulation 2011. <u>Synthetic color found present with out label declaration as Per memorandum of FSO.</u>

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड बेसन के लड्डू (बेसन,चीनी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल से निर्मित) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री संतोष पुत्र श्री गीताराम बघेल, उम्र 40 वर्ष, जाति बघेल, मैसर्सः जयपुर मिष्ठान भण्डार, राजाखेडा बाईपास धौलपुर निवासी ग्राम नांदोली तह0 राजाखेडा, धौलपुर (राजस्थान) के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 5100/—रुपये (पांच हजार एक सौ रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner